

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1828(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के संस्थान निकाय का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

1. डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर, कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर

ii. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

- पदेन सदस्य

iii. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :

3. संस्थान के निदेशक

- पदेन सदस्य

iv. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :

4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार

- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

5. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर-- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

v. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :

6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

7. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

8. प्रो. गंगाधर, डीन और प्रिंसिपल, बीटीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस

9. डॉ. जॉर्ज डिसूज़ा, डीन, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु

10. डॉ. पूर्णेंद्रु सक्सेना, निदेशक, विशारद अस्पताल, रायपुर, छत्तीसगढ़

vi. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

11. डॉ. विजयेंद्रकुमार, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, बाल चिकित्सा विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

12. डॉ. सुरजीत सिंह, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़

13. डॉ. शिप्रा शर्मा, प्रोफेसर, सर्जरी विभाग, रायपुर मेडिकल कॉलेज, रायपुर

14. डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, निदेशक सह प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, जैव रसायन विभाग, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

vii. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत] :

15. श्री अरुण साव, संसद सदस्य, लोकसभा

16. श्री सुनील कुमार सोनी, संसद सदस्य, लोकसभा

17. सुश्री सरोज पांडेय, संसद सदस्य, राज्य सभा

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जैड-28016/177 /2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1828(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby re-constitutes the **All India Institute of Medical Sciences, Raipur** consisting of the following members, namely :-

I. Member under clause (a) of Section 4 :

1. Dr. Narayan Purushottam Dakshinkar, Vice Chancellor, Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Raipur

II. Member under clause (b) of Section 4 :

2. Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- ex-officio

III Member under clause (c) of Section 4:

3. The Director of the Institute - ex-officio

IV Member under clause (d) of Section 4:

4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India - Representative of Ministry of Finance
5. Director, Indian Institute of Management, Raipur- Representative of Ministry of Human Resource Development

V. Member under clause (e) of Section 4 :

6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee.
7. Chief Secretary, Government of Chhattisgarh or his/her nominee
8. Prof. Gangadhar, Dean and Principal, BTL group of Institutions
9. Dr. George D' Souza, Dean, St. John's Medical College, Bengaluru

10. Dr. Purnendu Saxena, Director, Visharad Hospital, Raipur, Chhatisgarh

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

11. Dr. Vijayendra Kumar, Professor & HOD, Department of Paediatric Surgery, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna
12. Dr. Surjit Singh, Professor & HOD, Department of Paediatrics, PGIMER Chandigarh
13. Dr. Shipra Sharma, Professor, Department of Surgery, Raipur Medical College, Raipur
14. Dr. Pradeep Kumar Patra , Director cum Professor& HOD , Department of Biochemistry , Chhattisgarh Institute of Medical Sciences , Bilaspur, Chhatisgarh

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Sh. Arun Sao, Member of Parliament , Lok Sabha
16. Sh. Sunil Kumar Soni, Member of Parliament , Lok Sabha
17. Ms. Saroj Pandey, Member of Parliament , Rajya Sabha

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1829(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. जॉर्ज डिसूज़ा , डीन, सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज , बंगलुरु को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जैड-28016/177 /2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O . 1829(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. George D'souza ,Dean, St. John's Medical College , Bengaluru, as President of the All India Institute of Medical Sciences, **Raipur**.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.